

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा / 136 / 2019

तारीख रजु 19.08.2019

उनवान

कौशलया बेवा रामसिंह वगै० जाति जाटव, निवासी सिकरौदा तहसील हिण्डौन जिला करौली (राज०)

----वादीगण 04

बनाम

प्रेमसिंह पुत्र किरौडी वगै० जाति मीना निवासी सिकरौदा तहसील हिण्डौन जिला करौली

-----प्रतिवादीगण 05

उपस्थिति:-

वादी की ओर से :- संतोष कुमार मुदगल एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :- कोई नहीं

निर्णय

दिनांक 11.01.2021

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण की ओर वकालतन एक दावा स्थित ग्राम सिकरौदा तहसील हिण्डौन का दावा बावत् स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया। इसी दौरान वादी वकील द्वारा निवेदन किया कि वादी प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहता हैं। दावा नोट प्रेस में खारिज चाहा है।

अतः वादी का दावा मुकदमा 136/2019 कौशलया वगै० बनाम प्रेमसिंह वगै० नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



(सुरेश कुमार यादव)

उपखण्ड अधिकारी

हिण्डौन

